निगरानी / टीए / 5074 / 2006 / चूरू
कालूखां बनाम धन्नाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
11 -06-26	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :–** श्री सीपी शर्मा, श्री मृणाल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी। श्री श्रीनिवास बेनिवाल अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3व 4। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। **निर्णय** 1 हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू द्वारा प्रकरण संख्या 82/02 में पारित आदेश दिनांक 2–03–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2 निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते पक्षकार संयोजित करने प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी, चूरू ने अपने आदेश दिनांक 2–03–2006 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3 विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सख्या एक व दो ने अप्रार्थी संख्या तीन व चार के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कृषिभूमि साबिक खाता सं0 296 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 429 से 431 तथा 440 व 442 बने हैं के बाबत प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–11–98 से डिक्री कर अप्रार्थी संख्या एक व दो को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तथा निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण करण तस्दीक कर अप्रार्थी संख्या एक व दो के नाम इन्द्राज का अंकन किया गया और इसके उपरांत अप्रार्थी संख्या एक व दो ने दिनांक 08–01–1999 को पंजीकृत विकय पत्र से प्रार्थी को खसरा नं0 431 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नं0 442 का रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल आराजी का रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा वाके रोही खासोली तहसील व जिला चुरू में स्थित को पंजीकृत विकय पत्र से बेचान कर प्रार्थी को कब्जा संम्भला दिया है। अप्रार्थी सं. तीन व चार ने निर्णय डिक्री दिनांक 16–11–98 की प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 16–1–2001 को किया जाकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण रिमांड कर दिया गया जिसमें वाद के पक्षकार को सुनवाई	

का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः निर्णित करने हेतु आदेश प्रदान किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा उक्त उनवानी मुकद्दमा नं0 82/2002 दर्ज कर पुनः सुनवाई विचारण प्रारम्भ किया जो वर्तमान में साक्ष्य वादी में विचाराधीन हैं। इस दौरान प्रार्थी को वादीगण अप्रार्थी संख्या एक व दो के द्वारा वादग्रस्त आराजी के खसरा नं0 431 व 442 का विक्रय कर कब्जा संम्भला देने से उनके साथ वादी के रूप में पक्षकार बनाये जाने हेतु व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में हित निहित होने से पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया जिसे अपीलाधीन आदेश से निरस्त कर दिया। प्रार्थी वादीगण अप्रार्थी संख्या एक व दो से पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 431 व 442 को खरीद कर काबिजकाश्त हैं और खरीद के रोज अप्रार्थी संख्या एक व दो वादग्रस्त आराजी जो कि प्रार्थी को विक्रय की हैं के खातेदार काश्तकार रहे हैं क्योंकि उनके पक्ष में निर्णय डिकी दिनांक 16-11-98 से उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदार के रूप में अंकन किया हैं। प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 431 व 442 में हित निहित हैं क्योंकि वह सद्भावी क्रेता हैं जिसने पंजीकृत विक्रय पत्र से वादग्रस्त आराजी को खरीद किया हैं जिससे प्रार्थी को वादीगण के साथ पक्षकार जोडा जाना न्यायसंगत है जिसके विरूद्ध आक्षेपित आदेश पारित कर विधिक भूल की है। इसलिए इस न्यायदृष्टि से प्रार्थी को भी उक्त प्रकरण में बतौर पक्षकार मुर्तिब किया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। यदि आवेदक/प्रार्थी को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब नहीं किया जाता है तो आवेदक/प्रार्थी अपने अधिकारों की रक्षा करने से महरूम हो जायेगा एवं प्रार्थी को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति कारित होगी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण से संबंधित व्यथित, प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति को न्यायहित में प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब कर साक्ष्य, सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि पक्षकार को उचित न्याय मिल सके।इसलिए न्यायहित में प्रार्थी को उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के कारण वादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसे नजर अन्दाज कर परीक्षण न्यायालय ने आदेश जैर निगरानी पारित किया है जो निरस्तनीय है। अन्त में उन्होनें आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को वादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार संयोजित करने का निवेदन किया।

4 विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश में क्षेत्राधिकार संबंधी अथवा विधि व तथ्य संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

5 विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6 पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, चूरू के

समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते पक्षकार संयोजित करने प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी, चूरू ने अपने आदेश दिनांक 2-03-2006 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है।

7 अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 02.03.2006 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी खारिज करने का मुख्य आधार यह लिया है कि प्रकरण रिमाण्ड होकर आया है तथा प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है एवं वादग्रस्त आराजी भूमि रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है एवं प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वाद में प्रार्थी हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है। इस एकल पीठ के विनम्र मत में प्रार्थी को वाद में पक्षकार संयोजित करना न्यायहित में होगा जिससे वह वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। प्रार्थी को वाद में पक्षकार बनाने से वाद की प्रकृति पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 02-03-2006 को युक्तिसंगत व विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अतः परीक्षण न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 02.03.206 खारिज किये जाने योग्य है।

8 परिणामत हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू का आलोच्य आदेश दिनांक 02-3-2006 निरस्त किया जाता है एवं प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष लम्बित वाद में वादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति सहित शीघ्र लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य